न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़।
पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 134/2019

अनवान

1 सुरेश गिल पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

2 रविन्द्रसिंह पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। – वादीगण

बनाम

1 जयसिंह पुत्र रावता जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।

2 सावित्री पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। – प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : श्री मुन्शीराम गोस्वामी एडवोकेट : वादी
श्री सुरजीत बिजारणिया एड. प्रति0

निर्णय दिनाक : 11-3-2020

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा घेऊ के खाता सं0 84/335 के खसरा सं0 402 की 9.472 हैक्टेयर खसरा सं0 692/2 की 10.964 हेक्टेयर कुल किता 2 की 20.436 हैक्टैयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी जयसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज वादीगण एंव प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम एंव हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा रावता की खातेदारी हुआ करती थी। जिसमे वादीगण का भी प्रतिवादीगण के साथ वादभूमि मे जन्म से हक अधिकार है जिसमे वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का एक का 1/4 – 1/4 हिस्सा बनता है। उक्त वादभूमि की बाबत वादीगण एंव प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट भी हो गया जिसमे प्रतिवादीगण सं0 2 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

वादभूमि मे अपना जो हक हिस्सा था वह वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया जिस पर वादभूमि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई, परन्तु रिकार्ड माल मे कुल वादभूमि आज भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज चली आ रही है। जिसमे वादीगण के अधिकारों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने अपनी तरफ से राजीनामा पेश किया एंव वादीगण के दावा का कोई खण्डन पेश नही किया। पत्रावली मे राजीनामा पेश होने पर पर पत्रावली मे कोई विवाधक बनने नही पाये गये।

साक्ष्य वादी मे पी डब्लु – 1 रविन्द्रसिंह के बयान करवाये गये एंव दस्तावेजी साक्ष्य मे वादभूमि की वर्तमान जमाबन्दी एंव दादालाई पैत्रक कृषि भूमि की जमाबन्दी तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र को प्रदर्शित करवाया। साक्ष्य वादी समाप्त करने के उपरान्त बहस वकील वादीगण एंव प्रतिवादीगण सुनी गई।

दोराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का जन्म से हक एंव अधिकार है। वादीगण के दावा का प्रतिवादी पक्ष के द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है एंव वाद वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है, इसलिये वाद वादीगण डिक्री किया जावे।

बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली मे पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे वादभूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है वह उसे अपने पिता से विरासतन मे मिली होना साबित है तथा पत्रावली मे पेश सदस्य [illegible] के आधार पर वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 2 बहन भाई है [illegible] प्रतिवादी सं0 1 उनका पिता है। प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे छोडने का कथन किया है [illegible] पर कुल वादभूमि चार भागों मे थी जो जरिये राजीनामा वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 को मिलने पर वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 वादभूमि बहिस्सा बराबर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

अनुसार प्राप्त हुई है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 2 के अलावा प्रतिवादी जयसिंह के अन्य कोई पुत्र पुत्री नही है। इस प्रकार वादीगण अपने दावा को साबित करने मे सफल रहे है।

अत : वाद वादीगण डिक्री किया जाकर यह घोषणा की जाती है कि रोही मोजा घेऊ के खाता सं0 84/335 के खसरा सं0 402 की 9.472 हैक्टेयर खसरा सं0 692/2 की 10.964 हेक्टेयर कुल किता 2 की 20.436 हैक्टैयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी जयसिंह के नाम से जो 1/2 हिस्सा नाम से दर्ज है, उसमे वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूँकि प्रतिवादी सं0 2 ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष मे त्याग दिया है, इसलिये त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयुटी अदा करने व यदि वादभूमि किसी बैंक आदि के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादभूमि जो प्रतिवादी जयसिंह के नाम से दर्ज है, उसे वादीगण व प्रतिवादी जयसिंह के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 11-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा
आर ए एस

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 134 / 2019

अनवान

1 सुरेश गिल पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

2 रविन्द्रसिंह पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। – वादीगण

बनाम

1 जयसिंह पुत्र रावता जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।

2 सावित्री पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। – प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एंव वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत बिजारणिया की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादीगण डिक्री किया जाता है तथा यह घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कि रोही मोजा घेऊ के खाता सं0 84/335 के खसरा सं0 402 की 9.472 हैक्टेयर खसरा सं0 692/2 की 10.964 हेक्टेयर कुल किता 2 की 20.436 हैक्टैयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी जयसिंह के नाम से जो 1/2 हिस्सा नाम से दर्ज है, उसमे वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे त्याग दिया है, इसलिये त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयुटी अदा करने व यदि वादभूमि किसी बैंक आदि के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादभूमि जो प्रतिवादी जयसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसे वादीगण एंव प्रतिवादी जयसिंह के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनाक [illegible] को हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:09 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश बारैठ)

आर ए एस

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

भादरा।

Scanned with CamScanner